न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/01/2026	2026/4	07.01.2026	23.04.2026

1. अलीमुदीन पुत्र निजामुदीन जाति लीलगर,
2. अजरूदीन पुत्र निजामुदीन जाति लीलगर,
3. शहजाद पुत्र निजामुदीन जाति लीलगर,
4. सलमुदीन पुत्र निजामुदीन जाति लीलगर,
   निवासीयान ग्राम अकबरपुर, तहसील व जिला अलवर (राज.)

—अपीलाण्ट्स

बनाम

1. कपूरी देवी पत्नी राजवीर उर्फ नत्थीलाल जाति नट निवासी ग्राम अकबरपुर तहसील व जिला अलवर राज0।
2. हरिकिशन पुत्र पोलाराम जाति कुम्हार,
3. छोटूला पुत्र सप्पू जाति सक्का,
4. दास पुत्र लटूर जाति चमार,
5. रामस्वरूप पुत्र पोलाराम जाति कुम्हार,
6. रसीदन पत्नी निजामुदीन जाति लीलगर,
7. इमाम पुत्र लीला,
8. ईदो पुत्री लीला,
9. अकबरी पुत्री लीला,
10. जन्नत पुत्री लीला,
11. शहनाज पुत्री निजामुदीन,
12. शबनम पुत्री निजामुदीन जाति समस्त लीलगर निवासीयान ग्राम अकबरपुर तहसील व जिला अलवर राज0।
13. तहसीलदार अलवर, तहसील व जिला अलवर राज0।

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरुद्ध नामा0 सं0 767 निर्णय दिनांक 20.01.2022 तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज0।

उपस्थितिः—

01—श्री दलेर सिंह —वकील अपीलाण्ट

02—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेण्ट

—:निर्णयः—

यह अपील अपीलाण्टान द्वारा विद्वान वकील के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अलवर के आदेश दिनांक 20.01.2022, जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 767 स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि इंतकाल का अपीलान्ट को कोई इलम नहीं हो सका, चूँकि उक्त इंतकाल मिन अपीलान्टान के पीछे से बालाबाला पारित किया गया है तथा उक्त इंतकाल की जानकारी दिनांक 02.01.2026 को हुई जबकि रेस्पाडेन्टान द्वारा मिन अपीलान्ट के कब्जे काश्त में रूकावट और मजाहमत पैदा की तो अपीलान्टान द्वारा एतराज किया तो उन्होने उक्त इंतकाल की जानकारी दी। यह अपील जानकारी की तारीख 02.01.2026 से अंदर मयाद प्रस्तुत की जा रही है जेर दफा—5 कानून मयाद का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र अलग से पेश है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

संक्षिप्त वृतांत मुकदमा इस प्रकार है कि 50 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, 51 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, 52 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, 53 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, 54 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, 55 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, 56 रकबा 0.6200 हैक्टेयर, 58 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, 59 रकबा 0.4100 हैक्टेयर किता 9 रकबा 2.5300 हैक्टेयर वाके ग्राम अकबरपुर तहसील व जिला अलवर के सहखातेदार/गैरखातेदार अपीलान्टान एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ला. 12 की आराजी थी। उक्त आराजी को तकसीम कराने एवं खाता दुरूस्त कराने हेतु प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में राजस्थान भू राजस्व अधि नियम 1956 की धारा 136 के तहत आवेदन पेश किया गया था। जिस पर तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 10.11.2021 की पालना में दिनांक 20.01.2022 को नामांतकरण संख्या 767 स्वीकार किया गया है।

उपरोक्त आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा जो तितम्बा काटा गया है वह मौके व कब्जे के विपरीत काटा गया है। चूँकि आराजी खसरा नम्बर 56 रकबा 0.6200 हेक्टेयर के 2 टुकडो खातेदारी व गैरखातेदारी के करते हुए खसरा नंबर 1796/56 रकबा 0.5100 हैक्टेयर कायम कर अपीलान्टान की खातेदारी में तथा 1795/56 रकबा 0.1100 हैक्टेयर गैर खातेदारी में दर्ज किये गये है। उक्त वर्णित आराजी के छोटूला पुत्र सप्पू दास पुत्र लदूर, रामस्वरूप पुत्र पोलाराम, हरिकिशन पुत्र पोलाराम गैर खातेदार है और अजरूदीन, अलीमुदीन, शहजाद, सलीमुदीन कपूरी देवी खातेदार है जो कि मात्र खसरा नम्बर 1796/56 रकबा 0.51 हैक्टेयर के है। अपीलान्ट संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड के समबन्ध में प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में दुरूस्ती हेतु आवेदन पेश किया लेकिन मौके व कब्जे के अनुसार दुरूस्ती नहीं की गई है। इंतकाल विधि विरूद्ध स्वीकार करने से अपीलान्टान को बहुत भारी नुकसान है तथा अपीलान्टान के हकूक जायल हो रहे है। इसलिए इंतकाल अस्वीकार निरस्त किया जाना न्याय संगत है।

अतः अपील अपीलान्टान पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर द्वारा स्वीकार किया गया नामांतकरण संख्या 767 दिनांक 20.01.2022 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील व जिला अलवर निरस्त फरमाया जाकर पुनः मौका व कब्जे के अनुसार अपीलान्टान के नाम स्वीकार फरमाया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2022 के विरूद्व दिनांक 07.01.2026 को पेश की गयी है जो करीब 04 साल के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। नामान्तकरण के अनुसार खाता संख्या 283 खसरा नंबर 50 ल0 56, खसरा नंबर 58 व 59 कुल रकबा 5.53 हैक्टेयर में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट गैरखातेदार व खातेदार दर्ज रिकॉर्ड थे। नामान्तकरण संख्या 767 दिनांक 28.12.2021 निर्णय दिनांक 20.01.2022 द्वारा गैर खातेदार तथा खातेदार का जिम्मन अलग करते समय कस्टोडियन अलोटी गैर खातेदार का खाता संख्या 283 तथा खातेदारों का खाता संख्या 351 कायम किया गया। खातेदारों की नक्शा में तरमीम खसरा नंबर 56 में 0.51 हैक्टेयर करते हुए नया खसरा नंबर 1796/56 रकबा 0.51 है0 किस्म बारानी–2 तथा कस्टोडियन अलोटी गैर खातेदार का नया खसरा नंबर 1795/56 रकबा 0.11 है0 किस्म बारानी–2 कायम किये गये। अपीलाण्ट्स का कथन कि खातेदार/गैर खातेदार का जिम्मन नये खाते कायम करते समय नक्शा तरमीम मुताबिक मौका कब्जानुसार नहीं की गयी। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नकल सनद/पट्टा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

दिनांक 22.08.2016 अनुसार ग्राम अकबरपुर के आराजी खसरा नंबर 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 किता 9 रकबा 2.53 हैक्टेयर में से 01 बीघा का इमामन, अकबरी, ईदो, जन्नत पुत्रीयान लीला स0भाग हिस्सा 4/5, रसीदन पत्नी निजामुदीन, सलीमुदीन, अलीमुदीन, अजयरूदीन, शहजाद पुत्रान निजामुदीन, शहनाज, शबनम पुत्रीयान निजामुदीन स0भाग हिस्सा 1/5 दर हिस्सा 01 बीघा की खातेदारी दी गई है। जबकि उक्त पट्टे का अमल करते समय नामान्तकरण संख्या 767 में तहसीलदार अलवर द्वारा केवल आराजी खसरा नंबर 56 में से ही खातेदार व गैर खातेदार का तितम्बा काटा है, जो सनद के अनुरूप नहीं है। अतः उक्त आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अलवर द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 767 दिनांक 28.12.2021 निर्णय दिनांक 20.01.2022 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अलवर को निर्देश दिए जाते हैं कि वे पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)